

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह,  
भा0प्र0से0  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
अररिया, भोजपुर, रोहतास दरभंगा एवं किशनगंज।

विषय:-

बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 2,20,61,000/- (दो करोड़ बीस लाख इक्कसठ हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

पटना, दिनांक-18-2-2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 2,20,61,000/- (दो करोड़ बीस लाख इक्कसठ हजार रुपये) मात्र निम्न प्रकार आवंटित किया जाता है।


क्र0 सं0	जिला का नाम	अररिया	भोजपुर	रोहतास	दरभंगा	किशनगंज	कुल योग
1	वेतन	14,00,000	14,00,000	1,20,000	50,00,000	13,00,000	92,20,000
2	जीवन यापन भत्ता	19,50,000	19,00,000	8,50,000	60,00,000	16,00,000	1,23,00,000
3	मकान किराया भत्ता	50,000	50,000	10,000	20,000	-	1,30,000
4	चिकित्सा भत्ता	57,000	58,000	65,000	1,00,000	60,000	3,40,000
5	अन्य भत्ता	10,000	15,000	45,000	1,000	-	71,000
	कुल-	34,67,000	34,23,000	10,90,000	1,11,21,000	29,60,000	2,20,61,000

(दो करोड़ बीस लाख इक्कसठ हजार रुपये) मात्र

- यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 396 दिनांक 24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
9. इसकी मांग संख्या-33 एवं विपत्र कोड संख्या N2053000940001 है।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
11. जिन पदों के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियमानुसार नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जायेगा।
12. मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन

  
(केशव कुमार सिंह)  
सरकार के संयुक्त सचिव

सीड पोस्ट

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह,  
भा0प्र0से0  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
अररिया, भोजपुर, रोहतास दरभंगा एवं किशनगंज।

पटना, दिनांक-

2016

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 2,20,61,000/- (दो करोड़ बीस लाख इक्कसठ हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 2,20,61,000/- (दो करोड़ बीस लाख इक्कसठ हजार रुपये) मात्र निम्न प्रकार आवंटित किया जाता है।

क्र0 सं0	जिला का नाम	अररिया	भोजपुर	रोहतास	दरभंगा	किशनगंज	कुल योग
1	वेतन	14,00,000	14,00,000	1,20,000	50,00,000	13,00,000	92,20,000
2	जीवन यापन भत्ता	19,50,000	19,00,000	8,50,000	60,00,000	16,00,000	1,23,00,000
3	मकान किराया भत्ता	50,000	50,000	10,000	20,000	-	1,30,000
4	चिकित्सा भत्ता	57,000	58,000	65,000	1,00,000	60,000	3,40,000
5	अन्य भत्ता	10,000	15,000	45,000	1,000	-	71,000
	कुल-	34,67,000	34,23,000	10,90,000	1,11,21,000	29,60,000	2,20,61,000

(दो करोड़ बीस लाख इक्कसठ हजार रुपये) मात्र

- यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 396 दिनांक 24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पॉचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
9. इसकी मांग संख्या-33 एवं विपत्र कोड संख्या N2053000940001 है।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
11. जिन पदों के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियमानुसार नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जायेगा।
12. मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-  
(केशव कुमार सिंह)  
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/बजट 1-08/2015 सा0-.....65 / पटना, दिनांक- 18-2-2016  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव